राजस्थान पत्रिका
शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025

फोस्टर केयर

केंद्र की नई गाइडलाइन से राहत, अब स्थायी गोद का खुला रास्ता

मां-बाप का साया न मिलने वाले बच्चों को मिला घर

मोहम्मद इलियास
patrika.com

उदयपुर . किसी के सिर से मां-बाप का साया उठ गया तो कोई गरीबी और मजबूरी में भीख मांगने या मजदूरी करने को विवश हो गया। लेकिन राजस्थान की फोस्टर केयर योजना ने ऐसे 62 बच्चों की जिंदगी में उम्मीद की किरण जलाई है। अब ये बच्चे नए परिवारों में पल-बढ़ रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने योजना में बड़ा मानवीय बदलाव किया है जिसके तहत जो परिवार किसी बच्चे का दो वर्ष तक पालन-पोषण करते हैं वे उसे स्थायी रूप से गोद ले सकेंगे, बशर्ते कि बच्चे के असली माता-पिता उसे लीगल फ्री घोषित कर दें। राजस्थान में अब तक 62 बच्चे फोस्टर केयर योजना के तहत नए परिवारों में पल रहे हैं। इनमें सर्वाधिक बच्चे उदयपुर जिले के हैं। ये कभी सड़कों पर भिक्षावृत्ति या बाल श्रम करते मिले थे। आज ये बच्चे अच्छे परिवारों में रहकर स्कूल जा रहे हैं, और खेलकूद व शिक्षा में नाम कमा रहे हैं। पढ़ें **मां-बाप** @ पेज 13

- **दो साल तक पालन-पोषण पर नए परिवार लीगल फ्री होने के बाद ले सकेंगे गोद**
- **राज्य में 62 ऐसे बच्चे जो पल रहे सक्षम परिवारों में**

मां की ममता ने किया चमत्कार

उदयपुर के ऐसे बच्चे की कहानी जिसने सबकी आंखें नम कर दी। यह बच्चा सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित था। न चल सकता था न खुद से खाना खा सकता था। एक दंपती ने उसे फोस्टर केयर में अपनाया। मां की ममता और पिता के सहारे ने वह किया जो दवाएं न कर सकीं। आज बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है, खेलता है और स्वयं अपने हाथों से खाना खाता है।

मां-बाप...

ये है फोस्टर केयर योजना: फोस्टर केयर एक ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता उनका पालन-पोषण करने में अक्षम हों। जो अनाथ हो, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ माता-पिता के बच्चे हो, या भिक्षावृत्ति, बालश्रम या मिसिंग चाइल्ड की श्रेणी में हो, उन्हें सरकार चुने हुए जिम्मेदार परिवारों की देखरेख के लिए देती है।